बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन,लि0

खाद्य भवन, दरोगा प्रसाद राय पथ, आर,ब्लॉक रोड नं0–2 पटना 800001

पत्रांक–2:15:04:1:2019 1138 पटना/ दिनांक– 29/1/19

प्रेषक,

उप महाप्रबंधक (ज0वि0)
निगम मुख्यालय,पटना।

सेवा में,

सभी जिला प्रबंधक,
राज्य खाद्य निगम, बिहार।

विषयः– **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अनापूरित खाद्यान्नों की राशि की वापसी/समायोजन के संबंध में।**

प्रसंगः– भारतीय खाद्य निगम, पटना का पत्रांक Fin-19/Genl./Corres./2017-18-19 Dated 08/01/2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत मासिक रूप से प्राप्त आवंटन के विरूद्ध भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्नों का कय/उठाव की कार्रवाई की जाती है। प्रायः यह पाया गया है कि कतिपय जिलों में विभिन्न संकियात्मक कारणों/खाद्यान्न की अधिशेष मात्रा का प्रत्यार्पण किये जाने के फलस्वरूप उक्त मात्रा में सन्निहित राशि की वापसी हेतु नियमानुसार विपत्र क्षेत्र प्रबंधक के कार्यालय भारतीय खाद्य निगम में समर्पित कर राशि का भुगतान करने की कार्रवाई आपके स्तर से की जा रही है, परन्तु क्षेत्र प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम द्वारा समय से अनापूरित खाद्यान्न में सन्निहित विपत्र राशि का भुगतान काफी विलम्ब से किये जाने अथवा लम्बित रहने से अगले माह के आवंटित खाद्यान्न का भारतीय खाद्य निगम से कय किये जाने में निगम मुख्यालय को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे मामले में राज्य खाद्य निगम मधुबनी में व्ययगत खाद्यान्न की राशि का भुगतान में क्षेत्र प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम स्तर पर किये गये विलम्ब पर भारतीय खाद्य निगम क्षेत्रीय कार्यालय पटना से निर्गत परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि समर्पित विपत्र की राशि का अविलम्ब भुगतान किया जाय अथवा अनापूरित खाद्यान्न की राशि का अगले विमुक्ति आदेश में समायोजन कर दिया जाय। एतत् संबंधी प्राप्त परिपत्र की छायाप्रति संलग्न है। जिसमे स्पष्ट उल्लेखित है किः–

In this regard it is clarified that as per the circular no. 1237/ACCTS, dated 28.06.2018 in case of unlifted stock:

1. Refund may be made or
2. Amount in respect of unlifted stock may be adjusted against other release order.

भारतीय खाद्य निगम, द्वारा व्ययगत/अनापूरित खाद्यान्न में सन्निहित राशि का ससमय भुगतान नहीं किये जाने के कारण निगम मुख्यालय स्तर से यह निर्णय लिया गया है कि अब भविष्य में अनापूरित खाद्यान्न अथवा व्ययगत हुये खाद्यान्न की सही मात्रा की सूचना निगम मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करें ताकि मुख्यालय स्तर से खाद्यान्न कय के कम में उक्त राशि का समायोजन कर भारतीय खाद्य निगम को शेषराशि का हस्तानान्तरण की कार्रवाई की जा सके।

अनुलग्नकः–यथावर्णित।

विश्वासभाजन,

29/01/19
उप महाप्रबंधक (ज0वि0)

ज्ञापांकः– 1138 पटना/दिनांक 29/1/19

प्रतिलिपिः– महाप्रबंधक, क्षेत्र भा0खा0नि0 अरूणाचल भवन एक्जीविशन रोड पटना, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/01/19
उप महाप्रबंधक (ज0वि0)

ज्ञापांकः– 1138 पटना/दिनांक 29/1/19

प्रतिलिपिः– सभी क्षेत्र प्रबंधक, भा0खा0नि0, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/01/19
उप महाप्रबंधक (ज0वि0)

ज्ञापांकः– 1138 पटना/दिनांक 29/1/19

प्रतिलिपिः– महाप्रबंधक, वित्त निगम मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/01/19
उप महाप्रबंधक (ज0वि0)

क्षेत्रीय कार्यालय बिहार | भारतीय खाद्य निगम | FOOD CORPORATION OF INDIA | REGIONAL OFFICE Bihar

अरुणाचल भवन, एक्जीबिशन रोड, पटना-800001, दूरभाष: 0612-2218727, 2218039

Arunachal Bhawan, Exhibition Road, Patna-800001 Phone: 0612-2218727, 2218039

Website: www.fciweb.nic.in, Email: srmbi.fci@nic.in

Ref No. Fin-19/Genl. Corres./2017-18-19 G/F. Dated: 08/01/2019

8/01/2018

To,

The Area Manager
Food Corporation of India
Area Office,
Darbhanga

Sub: - Accounting treatment of unlifted quantity of food grains...reg.
Ref:- Your email dated :-05.01.2019

Sir,

Please refer to your above cited email, through which it was requested to convey guidelines for refund of the cost of unifted quantity of food grains for the month of November, 2018 in favor of BSFC, Madhubani.

In this regard it is clarified that as per the circular no. 1237/ACCTS, dated 28.06.2018, in case of unlifted stock:

1. Refund may be made or
2. Amount in respect of unlifted stock may be adjusted against other release order.

Therefore, Area Office is directed to release the payment as per Circular no. 1237/ACCTS, dated 28.06.2018(attached herewith) in favor of BSFC, Madhubani.

This issues with the approval of GM (Region).

Yours sincerely

08/01/2019

(Jaya Krushna Mohanta)
Dy. General Manager (F&A)

Copy to:

1) Area Manager-Bhagalpur,Gaya,Muzaffarpur,Purnea,Patna,Hajipur, Saharsa, Samastipur, Motihari, Jamui, Rohtas......for similar necessary action at your end.
2) PA to GM(R),FCI,RO,PATNA.......for information please.
3) PA to DGM(R, FCI,RO,PATNA ....for information please.

08/01/2019

Dy. General Manager (F&A)

Scanned by CamScanner